



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127030

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 10554 वर्ष 2026

रवि कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : धीरेंद्र प्रताप सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : राजकीय अधिवक्ता, राम नेता सिंह

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर राजकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है। उनका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दांडिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 16848 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2026 द्वारा बल न दिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़िता की माता द्वारा इस अभिकथन के साथ दर्ज कराई गई थी कि विवाह का झूठा वादा करके आवेदक ने उनकी लगभग 16 वर्ष आयु की अवयस्क पुत्री को बहला-फुसलाकर उसके साथ यौन संबंध बनाए और उसने ऐसे वीडियो क्लिप और फोटो को वायरल भी किया। पुलिस के समक्ष अपने बयान में सूचनाकर्ता ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। यद्यपि पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के अंतर्गत दर्ज अपने बयानों में आवेदक के विरुद्ध बलात्कार का अभिकथन किया है किंतु

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसके दोनों बयानों में तात्त्विक विरोधाभास हैं। इसके अतिरिक्त, बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के दोनों बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक सहमत पक्षकार है, क्योंकि उनके मध्य संबंध थे और वह आवेदक के साथ एक मंदिर में भी गई थी जहाँ उसने (आवेदक ने) पीड़िता की मांग में सिंदूर भरा था। इसके अतिरिक्त, प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के दोनों बयानों में पीड़िता के साथ कारित अभिकथित घटना की तिथि के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। जहाँ तक आवेदक के विरुद्ध लगाए गए इस अभिकथन का प्रश्न है कि उसने ऐसे वीडियो क्लिप और फोटो वायरल किए, ऐसे वीडियो क्लिप के विवरण के अनुसार अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई अश्लील वीडियो क्लिप थी। पीड़िता की अस्थिकरण परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, उसकी चिकित्सा परीक्षा के समय उसकी आयु 18 वर्ष पाई गई थी। पीड़िता ने अपनी आंतरिक चिकित्सा परीक्षा के लिए इनकार कर दिया है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ पीड़िता के बयानों में तात्त्विक विरोधाभास हैं और उसके बयानों से वह एक सहमत पक्षकार प्रतीत होती है, इसके अतिरिक्त, अभियोजन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुए विलंब को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया है और पीड़िता द्वारा अपनी आंतरिक चिकित्सा परीक्षा के लिए इनकार करने के कारण बलात्कार के ऐसे अभिकथन को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है, इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को गुप्त उद्देश्य और दुर्भावनापूर्ण आशय से झूठे और मनगढ़ंत अभिकथनों के साथ मामले में फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों के झूठेपन को प्रदर्शित करने के लिए कई अन्य निवेदन भी न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं। अधिवक्ता के अनुसार जिन परिस्थितियों के कारण अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह विधि की प्रक्रिया के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर निष्ठापूर्वक स्वयं को न्यायालय के समक्ष उपलब्ध कराएगा तथा उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है जिन्हें न्यायालय उस पर अधिरोपित करना उचित समझे। आगे उनका निवेदन है कि आवेदक 17.02.2025 से जेल में निरुद्ध है, और उसका कोई दांडिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान अपर राजकीय अधिवक्ता के साथ-साथ सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि आवेदक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की निर्दोषता का न्यायनिर्णयन विचारण-पूर्व प्रक्रम पर नहीं किया जा सकता है, इसलिए, वह किसी भी रियायत का पात्र नहीं है।

4. संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, अभिकथनों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए और गुणागुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
5. आवेदक-रवि कुमार को अपराध संख्या 67 वर्ष 2025, बीएनएस की धारा 64, 352, 351(2), 351(3) सहपठित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 और आईटी अधिनियम की धारा 67, पुलिस थाना- चौरी चौरा, जिला- गोरखपुर में निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक वैयक्तिक बंधपत्र और समान राशि के दो स्थानीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:
 - i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को धमकी नहीं देगा या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध कारित नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है, या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
6. ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को विधि के अनुसार जमानत रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

जून 12, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मुस्तकीम

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।